आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.
महारत्न कंपनी

REC Limited | आरईसी लिमिटेड
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालयः कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. आई–4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास,सेक्टर–29, गुरुग्राम–122001(हरियाणा)
दूरभाषः +91 124 444 1300 | वेबसाइटः www.recindia.nic.in
सीआईएनः L40101DL1969GOI005095 | जीएसटी नं.: 06AAACR4512R3Z3

एसईसी1/187(2)/2025/2358 **दिनांक: 19 जुलाई, 2025**

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051	**कॉर्पोरेट संबंध विभाग,** बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400 001
स्क्रिप कोड- RECLTD	**स्क्रिप कोड- 532955**
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051	**Corporate Relationship Department,** BSE Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Scrip Code- RECLTD	**Scrip Code- 532955**

विषय: आईईपीएफ प्राधिकरण को दावा रहित लाभांश/इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की सूचना के संबंध में समाचार पत्रों की क्लिपिंग्स का प्रस्तुतीकरण।

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार, कृपया निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को दावा रहित लाभांश/इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की सूचना के संबंध में संलग्न समाचार पत्रों की क्लिपिंग्स संलग्न हैं, जो 19 जुलाई, 2025 को 'बिजनेस स्टैंडर्ड' (अंग्रेजी) और 'बिजनेस स्टैंडर्ड' (हिंदी) संस्करणों में प्रकाशित हुई थीं।

यह आपकी जानकारी और प्रसार के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,

Jyoti Shubhra Amitabh

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

संलग्न : उपरोक्त अनुसार

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

आरईसी लिमिटेड | REC Limited

(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) **(A Maharatna Government of India Enterprise)**
Regd. Office : Core-4, SCOPE Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi 110003
Corporate Office : Plot No. I-4, Sector-29 Gurugram - 122001 (Haryana)
Tel: +91 124 4441300, | Website: www.recindia.nic.in
Email: complianceofficer@recindia.com | CIN: L40101DL1969GOI005095

NOTICE FOR TRANSFER OF UNPAID DIVIDENDS/EQUITY SHARES TO IEPF AUTHORITY

Attention: Shareholders of REC Limited

Notice be and is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules") and amendments made thereto, the dividends which remained unclaimed for seven years will be credited to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") and thereafter corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years will also be transferred to the IEPF.

Accordingly, individual communications have already been sent by REC Limited ("the Company") at the latest available addresses of the concerned shareholders, requesting them to claim dividend amounts which have remained unpaid/unclaimed consecutively for a period of seven years, as per the details mentioned below:-

Particulars	Date of declaration	Last date for claiming dividend	Timeline for transfer of unclaimed dividend amount and shares to IEPF Authority
Final dividend 2017-18	September 25, 2018	October 22, 2025	On or before November 22, 2025
Interim dividend 2018-19	February 28, 2019	April 1, 2026	On or before May 2, 2026

The details of such shareholders are also available on the website of the Company at https://recindia.nic.in/iepf-details. In view of the same, such shareholders are requested to claim their unclaimed/unpaid dividends amounts and accordingly forward the requisite documents to Registrar and Share Transfer Agent (R&TA) of the Company viz. Alankit Assignments Limited (Unit: REC Limited), 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi – 110055, Tel. No.: 011-42541234 | 011-42541954, Email: virenders@alankit.com OR contact the Company at Tel. No.: 01242715476, Email: complianceofficer@recindia.com, to claim the unclaimed dividend amount(s).

In case, the requisite documents from the concerned shareholders are not received on or before October 22, 2025 (in case of Final Dividend for FY 2017-18) and April 1, 2026 (in case of Interim Dividend for FY 2018-19), the equity shares along with the unpaid dividend amounts, having completed seven years, shall be transferred to IEPF Authority, without any further notice. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amounts and equity share(s) transferred to IEPF pursuant to the said Act and Rules. However, the unclaimed dividend amounts and corresponding shares transferred to the IEPF Authority including all benefit(s) accruing on such shares, if any, can be claimed back after following the procedure prescribed in the IEPF Rules. Further, shareholders holding equity shares in physical form are advised to update KYC and other requisite documents in the prescribed forms available on the website of the Company at "https://recindia.nic.in/forms".

For REC Limited
Sd/-
(J. S. Amitabh)
Executive Director &
Company Secretary

Place : Gurugram
Date: July 19, 2025

Energizing and empowering India since 1969

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

आरईसी लिमिटेड | REC Limited
(भारत सरकार का महारत्न उद्यम) (A Maharatna Government of India Enterprise)
पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
निगमित कार्यालय: प्लॉट नं. आई-4, सेक्टर-29, गुरूग्राम, हरियाणा-122001
दूरभाष: +91 124 4441300, | वेबसाइट: www.recindia.nic.in
ई-मेल: complianceofficer@recindia.com | सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

आईईपीएफ प्राधिकरण को अप्रदत्त लाभांश/इक्विटी शेयरों के अंतरण के लिए सूचना

ध्यान दें : आरईसी लिमिटेड के शेयरधारक

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्रावधानों तथा के साथ विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियमावली, 2016 (नियमों) के साथ पठित और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार, पिछले सात वर्षों से अदावाकृत लाभांश को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में जमा किया जाएगा और उसके बाद संबंधित शेयर, जिन पर लाभांश लगातार सात वर्षो से अदावाकृत थे, उसे भी आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा।

तदनुसार, संबंधित शेयरधारकों के वर्तमान मौजूद पतों पर आरईसी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजे गए हैं, जिसमें उनसे लाभांश राशि का दावा करने का अनुरोध किया गया है, जो नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए अप्रदत्त / अदावाकृत है:-

विवरण	घोषणा करने की तिथि	लाभांश राशि का दावा करने की अंतिम तिथि	आईईपीएफ प्राधिकरण को अदावाकृत लाभांश राशि और शेयरों के अंतरण की समय- सीमा
अंतिम लाभांश 2017-18	25 सितंबर, 2018	22 अक्टूबर, 2025	22 नवंबर, 2025 को या उससे पहले
अंतरिम लाभांश 2018-19	28 फरवरी, 2019	01 अप्रैल, 2026	02 मई, 2026 को या उससे पहले

ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://recindia.nic.in/iepf-details पर भी उपलब्ध है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांश राशियों के लिए दावा करें और तदनुसार अदावाकृत लाभांश राशि का दावा करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टीए) अर्थात अलंकित एसाइनमेंटस लिमिटेड (यूनिटः आरईसी लिमिटेड), 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, संपर्क: 011-42541234 | 011-42541954, ई-मेल: virenders@alankit.com को प्रेषित करें अथवा अदावाकृत लाभांश राशि (राशियों) का दावा करने के लिए कंपनी को ई-मेल आईडी: complianceofficer@recindia.com, दूरभाष : 01242715476 पर संपर्क करें।

यदि संबंधित शेयरधारकों से अपेक्षित दस्तावेज 22 अक्टूबर, 2025 (2017-18 के अंतिम लाभांश के मामले में) को या उससे पहले प्राप्त नहीं होते हैं और 01 अप्रैल, 2026 (2018-19 के अंतरिम लाभांश के मामले में) एवं सात वर्ष पूरे होने पर अप्रदत्त लाभांश राशि के साथ इक्विटी शेयर बिना कोई सूचना दिए आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाएंगे। उपर्युक्त अधिनियम और नियमावली के अनुसरण में आईईपीएफ को अंतरित, अदावाकृत लाभांश राशियों और इक्विटी शेयर (शेयरों) के संदर्भ में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। तथापि, अदावाकृत लाभांश और संबंधित शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जा चुके है, आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, उसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ सहित, यदि कोई हो, वापस दावा किया जा सकता है। इसके अलावा, कागज के रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे केवाईसी और कंपनी की वेबसाइट "https://recindia.nic.in/forms" पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्मों में अन्य आवश्यक दस्तावेजों को अद्यतन करें।

कृते आरईसी लिमिटेड
हस्ता/-
(जे.एस.अमिताभ)
कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 19 जुलाई, 2025

1969 से भारत को ऊर्जान्वित और सशक्त बनाने के लिए कार्यरत